कार्यालय नगर परिषद गढ़वा

अल्पकालीन निविदा/मूल्य कथन आमंत्रण सूचना संख्या–07/2016–17

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद गढ़वा।
2. निविदा/कोटेशन प्राप्ति की तिथि एवं समय :– 09.01.2017 को 2.30 बजे अपराह्न।
3. मूल्य कथन खोलने की तिथि एवं समय :– 09.01.2017 को 3.00 बजे
4. मूल्य कथन प्राप्त करने का स्थान :– कार्यालय नगर परिषद गढ़वा।

कमांक	सामान का नाम तथा आकार	वजन	संख्या	दर
1	कम्बल 60"x90" Size	2.8 Kg	2000	प्रति अदद

विस्तृत सूचना/शर्तें अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय के सूचना पट्ट एवं वेवसाईट www.udhd.jharkhand.gov.in और garhwa.nic.in पर देखा जा सकता है।

30.12.16
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, गढ़वा।

ज्ञापांक 2055 दिनांक 30/12/016
प्रतिलिपि :– संवाददाता दैनिक जागरण, प्रभात खबर एवं सन्मार्ग को न्यूनतम सरकारी दर पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

30.12.16
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद गढ़वा।

ज्ञापांक 2055 दिनांक 30/12/016
प्रतिलिपि :– D.I.O. NIC गढ़वा को सूचनार्थ एवं उपरोक्त निविदा को जिला के बेवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

30.12.16
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद गढ़वा।

ज्ञापांक 2055 दिनांक 30/12/016
प्रतिलिपि :– वरीय पदाधिकारी (डी0 टी0 ओ0) गढ़वा, जिला कोषागार पदाधिकारी गढ़वा/कार्यपालक अभियन्ता, नगर परिषद गढ़वा को सूचनार्थ प्रेषित।

30.12.16.
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद गढ़वा।

ज्ञापांक 2055 दिनांक 30/12/016
प्रतिलिपि :– मा0 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष नगर परिषद गढ़वा को सूचनार्थ प्रेषित।

30.12.16
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद गढ़वा।

ज्ञापांक 2055 दिनांक 30/12/016
प्रतिलिपि :– उपायुक्त/आरक्षी अधीक्षक एवं अनुमण्डल पदाधिकारी गढ़वा की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

30.12.16.
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद गढ़वा।

कार्यालय नगर परिषद गढ़वा

अल्पकालीन निविदा/कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या 07/2016–17

कम्बल की आपूर्ति हेतू

नियम एवं शर्ते

1. सभी निविदादाताओं को अपनी निविदाएँ मुहरबन्द लिफाफे में जमा करना अनिवार्य है। उस लिफाफे पर अपना नाम पता साफ–साफ अंकित करेंगे, अन्यथा उनकी निविदा मान्य नहीं होगी।
2. निविदा में वैसे निर्माता भाग ले सकते हैं, जो झारखण्ड राज्य अंतर्गत उद्योग विभाग से संबंधित हो एवं झारखण्ड राज्य में अवस्थित हो तथा बी0 आई0 एस0 लाइसेंस प्राप्त हो।
3. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा, तथा किसी निविदा को बिना कारण बताये पूर्णतः/अंशतः रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
4. सामान की गुणवता की जॉच के पश्चात् ही सामान की आपूर्ति की जायेगी। विपत्र का भुगतान अद्योहस्ताक्षरी के स्तर से जॉच के पश्चात ही किया जायेगा।
5. निविदा दाताओं को निविदा के साथ पैन कार्ड, तथा आयकर एवं वाणिज्य कर के अद्यतन भुगतान का प्रमाण पत्र तथा अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र श्रम अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र जिसमें समय अवधि बैध हो की सुस्पष्ट अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।।
6. कोटेशन दाताओं को इस बात का शपथपत्र देना होगा कि कम्बल का अंकित दर बाजार दर से अधिक नहीं है।
7. कोटेशन दाताओं को झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निबंधित होना अनिवार्य हैं। (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
8. सभी कोटेशन दाताओं को सभी कर सहित दर अंकित करना होगा। आपूरित सामग्री पर उत्पादनकर्ता का मार्का अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में कोटेशन दर से अधिक का भुगतान नहीं होगा।
9. कोटेशन पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार क्रय समिति को होगा। समिति को आवश्यकता महसूस होने पर प्रेजेन्टेशन आदि का भी निर्देश कोटेशनदाता को दिया जा सकता है।
10. कोटेशनदाताओं को कोटेशन के साथ सुरक्षित जमा राशि मो0 30000/– तीस हजार रुपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद गढ़वा के नाम से जमा करना होगा। सुरक्षित जमा राशि सामग्री की आपूर्ति के एक वर्ष के बाद ही वापस की जायेगी, इसके अतिरिक्त आयकर, विक्रीकर अत्यादि का स्वच्छता प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
11. आपूर्ति किये गये सामग्री के विरुद्ध पारित प्रत्येक विपत्र से 10 प्रतिशत राशि की कटौती की जायेगी। कटौती की गई राशि सामग्री आपूर्ति करने के छः माह के उपरान्त ही वापस की जायेगी।
12. सामग्रियों की आपूर्ति अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में पहुचाकर करनी होगी इसके लिए उन्हे अलग से कोई राशि देय नहीं होगा।
13. सामग्री आपूर्ति करने के लिए कोई अग्रिम राशि देय नहीं होगी, आपूर्ति आदेश के छः दिन के अन्दर सामानों की आपूर्ति सुनिश्चित करना होगा। अन्यथा आदेश रद्द कर सुरक्षित जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।
14. प्रत्येक निविदा दाता कम्बल का एक ही नमूना प्रस्तुत करेंगे।

20.12.16.

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद गढ़वा।